

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

अप्रैल-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा) 41/2011	अनुकम्पा के आधार पर दत्तक पुत्र की नियुक्ति के संबंध में प्रतिमा सिंह पलामू का शिकायत ।	12.04.2012	उपायुक्त पलामू के प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)38/2011	श्री भुनेश्वर सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक खूंटी का वेतन विसंगति निराकरण उपरान्त लम्बित भुगतान के संबंध में ।	12.04.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक खूंटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी से मंतब्य की मांग की गई जिसमे परिवादी ने बकाया वेतन के रूप में संबंधित विभाग से 95,472/रु० की बैंक ड्राफ्ट का भुगतान प्राप्त की बात कही है तथा माननीय लोकायुक्त द्वारा उनके परिवाद पर त्वरित कार्रवाई के लिए अभार व्यक्त किया है ।
3.	02/लोक (शिक्षा) 11/08	संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग के प्रोफेसर स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद की विधवा श्रीमती शारदा प्रसाद को देय पारिवारीक पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	20.04.2012	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी अपना मंतब्य नहीं देने के कारण राँची विश्वविद्यालय के कुलसचिव के प्रतिवेदन के आधार पर परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)07/2011	श्री बेंगलाल महतो धोखरा पंचायत धनबाद द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पेशकार श्री भाष्कर सिंह चौधरी के विरुद्ध कतिपय शिकायत के संबंध में ।	04.04.2012	परिवादी द्वारा परिवाद सीधे लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण तथा परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के त्रुटियों को दूर नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)24/07	श्री विश्वम्भर लाल सेवानिवृत्त मोहर्रिर, बन्दोबस्त कार्यालय दुमका के पुनरीक्षित पेंशनादि के संबंध में ।	21.04.2012	बन्दोबस्त कार्यालय दुमका तथा महालेखाकार झारखण्ड राँची एवं परिवादी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में पेंशन निर्धारण हेतु आथिरीटी स्लीप महालेखाकार द्वारा निर्गत कर दिया गया । परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(राजस्व)06/2011	श्री साधुचरण सिंह कुंटिया पूर्व महासचिव जिला	27.04.2012	लोक सेवक के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने के पश्चात् विभागीय

		कांग्रेस कमिटी चाईबासा द्वारा श्री शंकर यादव भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर चाईबासा के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में ।		कार्रवाई के फलस्वरूप उचित दण्ड दिया जा चूका है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं हाकती है ।
4.	02/लोक(राजस्व)40/07	श्री रविशंकर प्रसाद सेवानिवृत्त प्रधान सहायक को वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में ।	28.04.2012	ससमय कार्रवाई के पश्चात परिवादी को सभी उचित वैद्य देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया । अतः परिवाद के परिवाद का निराकरण कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस)13/2009	दुमका जिला पुलिस बल के पुलिस सं० 566 संजीव शर्मा के द्वारा मनमानी किये जाने एवं सरकारी सामानों का उपयोग निजी कार्य में किये जाने के संबंध में शिकायत ।	18.04.2012	पुलिस अधीक्षक दुमका के जांच प्रतिवेदन जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया गया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पुलिस)09/2011	जुगसलाई थाना कान्ड सं० 73/11 के तहत जितेश कुमार सिंह पर झुठा मुकदमा में फंसाने एवं मारपीट करने के संबंध में ।	18.04.2012	पुलिस द्वारा केस के संदर्भ में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया जा चूका है तथा सुनवाई के स्तर पर है। अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(पुलिस)05/2012	सूरज साव के निजी आवास एवं होटल को रविन्द्र साव उनके भईयों के द्वारा भाड़े के गुण्डों द्वारा तोड़ फोड़ कर पुरी तरह जमीदोज कर देने के संबंध में ।	18.04.2012	पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के प्रतिवेदन जिसमें उल्लेखित है कि परिवाद दो लोगों के बीच का निजी मामला है तथा दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पहले ही दाखिल किया जा चूका है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा०अं०सं०)4/06	ग्राम्य अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल गुमला में फर्जी विपत्र पर बिना कार्य किये राशि की निकासी के संबंध में ।	17.04.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर तथा परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी मंतब्य नहीं देने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा० वि० वि०) 4/11	परिवादी राजू रविदास का इन्दिरा आवास का चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मेहरमां एवं पंचायत सेवक की लापवाही के कारण दुसरे एवं गलत लाभुक को दे देने के संबंध में ।	18.04.2012	परिवादी के मंतब्य तथा उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को इन्दिरा आवास की राशि का भुगतान कर दिया गया । माननीय लोकायुक्त के त्वरित कार्रवाई के कारण परिवादी को लाभ प्राप्त हो गया ।

खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(खाद्य आ०)04/11	श्री त्रिलोचन यादव ज.वि.प्र. दुकानदार बरियारडीह पंचायत धोबाना प्रखण्ड देवीपुर जिला देवघर के विरुद्ध श्री महेन्द्र यादव से प्राप्त शिकायत ।	16.04.2012	परिवादी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भूलवश परिवाद करने के संबंध में क्षमा मांगने के कारण परिवाद बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(खाद्य)1010/05	अवैध रूप से डिलर नियुक्ति के संबंध में ।	17.04.2012	कई पत्राचार एवं पर्याप्त स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन) 06/99	श्री अक्षेवर प्रसाद गुप्ता सेवानिवृत्त वनपाल को द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नती एवं पेंशन निर्धारण एवं जमानत राशि के भुगतान के संबंध में ।	21.04.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के संबंध में अद्यतन स्थिति हेतु पर्याप्त पत्राचार किया गया परन्तु परिवादी द्वारा इसमें कोई रुची नहीं दिखाई गई अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)08/06	हाथी द्वारा फसल बर्बादी के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में ।	30.04.2012	परिवादी द्वारा 29,550/-रु० की मांग मुवाजे के रूप में की गई है जो नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (विद्युत)04/09	विद्युत कार्य प्रमंडल राँची - धनबाद में बिहार के निबंधित संवेदकों एवं अभियंता गठ-जोड़ द्वारा लूट खसोट किये जाने के संबंध में ।	16.04.2012	संबंधित विभाग द्वारा परिवाद में उठाए गए बिन्दुओं पर पूर्व में ही उचित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परिवादी जो स्वयं एक संवेदक है अभी तक अपने को विभाग में निबंधित नहीं कराया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विद्युत)02/06	स्व० रोशन बास्की भू० पू० गार्ड केंद्रीय विद्युत भंडार दुमका की आश्रित विधवा को मृत्यु सह सेवानिवृत्त देयताओं के भुगतान के संबंध में ।	12.04.2012	विद्युत अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल दुमका के जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी को उसके जीवन काल में सभी सेवानिवृत्त देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया, के आलोक में परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(विद्युत) 06/11	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन विद्युत आपूर्ति	03.04.2012	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक

		प्रमण्डल कोकर के अधिकारियों द्वारा नियम के विरुद्ध गलत तरिके से बिजली का कनेक्शन देने के संबंध में शिकायत ।		में तथा परिवादी द्वारा संतोषजनक मंतव्य नहीं देने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
--	--	---	--	---

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(स० कल्याण)3/11	श्रीमती बिमा सिंहा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निलम्बन व निलम्बन मुक्ति के मामले में सचिव समाज कल्याण झारखण्ड, समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम व उायुक्त पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध शिकायत ।	03.04.2012	परिवादी से प्राप्त मंतव्य से प्रतीत होता है कि परिवाद लोकसेवक के सेवाशर्त से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है ।
2.	01/लोक(स० कल्याण)01/11	कलाकान्त झा गोपालनगर (चन्द्रावती नगर) मानगो जमशेदपुर बनाम सचिव समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग झारखण्ड राँची ।	17.04.2012	लोक सेवक अपने उपर लगे आरोप के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया है ऐसी स्थिति में परिवाद झारखाण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कल्याण)03/08	आरक्षित कोटे पर अनारक्षित कोटे से आंगनबाड़ी सेविका के पद पर अवैध नियुक्ति करने के संबंध में ।	10.04.2012	परिवादी अपने परिवाद के निराकरण के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया है अतः ऐसी स्थिति में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
2.	02/लोक(कल्याण)04/20 08	उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम द्वारा समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के दिश निर्देश का उलंघन करते हुए मनमानी तरिके से एक संस्था का अनुशांसा किये जाने के संबंध में ।	10.04.2012	परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पथ नि०)04/08	श्री हरिलाल संवेदक मटवारी गांधी नगर हजारीबाग को लकड़ा पहाड़ी चौथा पथ के 10 वें कि० मि० में स्थित पुल निर्माण के विपत्र का अंतिम भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	09.04.2012	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल दुमका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के मृत्युपरान्त अंतिम विपत्र की राशि 98,640/-रु० का भुगतान परिवादी के पुत्र श्री मनोज कुमार को दिनांक 27.03.2012 को चेक के द्वारा कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया ।

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(जल सं०)01/11	श्री कृष्ण भगवान सिन्हा सेवा निवृत्त कनीय अभियांता यांत्रिक का अंतर वेतन एवं अव्यवहृत अवकाश की अंतर राशि के भुगतान संबंधी आवेदन कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमण्डल,ईचा सराकेला खरसावां द्वारा लंबित रखने के संबंध में ।	2.04.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवादी श्री कृष्ण भगवान सिन्हा सेवा निवृत्त कनीय अभियांता यांत्रिक को सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद पद अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पेयजल) 02/11	श्री विपिन बिहारी सिन्हा, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल आदित्यपुर के द्वारा सरकारी राशि का बन्दरबांट करने के संबंध में ।	04.04.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा०)14/2011	विसुन मोची सेवा निवृत्त का सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय पावनाओं का भुगतान नहीं करने के संबंध में ।	16.04.2012	माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के फलस्वरूप परिवादी को उसके सभी देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग के द्वारा कर दिया गया । अतः संचिका बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा०) 11/2009	श्री वकील सिंह सेवानिवृत्त शहरी मलेरिया योजना	27.04.2012	जिला मलेरिया पदाधिकारी बोकारो के प्रतिवेदन जिसमें

		बोकारो कैम्प 2 जिला मलेरिया कार्यालय बोकारो को सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।		परिवादी को सभी वैद्यनिक देय तथा अपवैधनिक पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में परिवादी से मंतव्य की मांग की गई परन्तु कई पत्रों के बाद भी परिवादी का मंतव्य अप्राप्त है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(स्वा०)03/2011	औषधि निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद धनबाद द्वारा घूस मांगने के संबंध में श्री सोमनाथ अग्रवाल का शिकायत ।	20.04.2012	निगरानी ब्यूरो राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी द्वारा लगाए गये आरोप को निराधार बताया गया है, के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(स्वा0)137/2005	उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नती देने के संबंध में श्री एम. आलम चाईबासा का शिकायत ।	30.04.2012	निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(स्वा0)09/2008	आयुष निदेशालय अन्तर्गत डॉ० एवं अधिनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति में जमक र रूपये की वसूली के संबंध में ।	20.04.2012	परिवाद पत्र माननीय लोकायुक्त झारखण्ड को संबोधित नहीं है । अतः परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है ।
6.	02/लोक(स्वा0)111/2005	पुनरीक्षित वेतनमान के बकाया भुगतान के संबंध में श्री मोहन प्रसाद सेवानिवृत्त प्रगणक से प्राप्त शिकायत ।	30.04.2012	सिविल सर्जन धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी के बकाया का भुगतान कर दिया गया। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सहकारिता)01/09	श्री गौरीशंकर प्रसाद निबंधक सहयोग समितियाँ एवं श्री राम कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद क द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के संबंध में ।	20.04.2012	संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दिया गया है तथा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। अतः परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पशु)01/2012	स्व० सैयदूरहमान भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी मनिका पलामू को अनुमान्य प्रोन्नती के संबंध में श्रीमती साईना जर्जी का शिकायत ।	09.04.2012	बिहार लोकायुक्त पटना को अग्रतर कार्रवाई के लिए संचिका हस्तान्तरित ।

आवास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(आवास)01/2006	श्री सुनिल कुमार गौड़ सेवानिवृत्त प्रशाख पदाधिकारी नगर विकास विभाग राँची द्वारा गलत सूचना देकर आवास आवंटित कराने के संबंध में ।	20.04.2012	प्रबंध निदेशक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें श्री गौड़ को आवंटित आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(भवन)01/2009	भवन प्रमंडल हजारीबाग के अधीन हजारीबाग जेल ट्रेनिंग सेन्टर कार्यालय भवन की मरम्मत करवाकर एकरारनामा की राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में।	30.04.2012	संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समर्पित रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसके द्वारा किया गया कार्य के बदले माप पुस्तिका के अनुसार रू 33967/- का भुगतान कर दिया गया ।अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)06/2011	श्री रघुनाथ मांझी ग्राम रजौनकलां जिला-गोड्डा द्वार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी को नहीं दिए जाने से संबंधित ।	04.04.2012	परिवादी को प्रशासनिक न्यायधिकरण के फैसले के अनुरूप ACP का निर्धारण कर बकाया का भुगतान दिलाया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(न०वि०वि०)03/2007	श्री अखोरी शशांक कुमार सिंहा विशेष पदाधिकारी नगर पालिका हजारीबाग द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्ट आचरण अपनाने के संबंध में राजेश महतो ग्राम बलमा कटकमसांडी हजारीबाग का शिकायत पत्र ।	17.04.2012	कई पत्राचार एवं पर्याप्त स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(न०वि०वि०)01/2009	राँची क्षेत्रीय विकास विभाग प्राधिकार द्वारा विस्थापित शिक्षित बेरोजगार, अपंग व पिछड़े युवक से वर्षो पूर्व 33000/- रू० की पूर्ण राशि जमा लेने के बाद दुकान उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में ।	20.04.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को दुकान का आवंटन राँची क्षेत्रीय विकास विभाग प्राधिकार द्वारा Building Bylaws के विरुद्ध रहने के कारण रद्द कर दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(का०प्र०सु०)02/09	श्री राकेश कुमार शर्मा अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर प्रधान लिपिक शिवनरायण जिला अमीन-पिंगुआ सरकारी वकील श्री राजबिहारी प्रसाद आदि को जिला से अन्यत्र हटाये जाने के संबंध में ।	16.04.2012	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद किसी किसी झूठे आदमी द्वारा किया गया था । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

शिकायत / परिवाद

अप्रैल-2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 197 / 2012	भूमि सुधार उप समाहर्ता चतरा द्वारा नोटिस तामिला की कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विनोद कुमार का शिकायत ।	04.04.2012	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परिवादी को शिकायत से संबंधित निराकरण प्राप्त है। अतः परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
2.	शिकायत सं० 224 / 2012	प्रियदर्शी नर्सिंग होम बोकारो स्टील सिटी में अस्वस्थकर एवं रूग्णावस्था में संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	04.04.2012	निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
3.	शिकायत सं० 202 / 2012	सरकारी योजनाओं में होरही गड़बड़ी को विरोध करने पर स्थानान्तरण रद्द करने के संबंध में श्री महेश प्रसाद लंकेश से प्राप्त शिकायत ।	04.04.2012	परिवादी स्वयं एक लोक सेवक है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
4.	शिकायत सं० 206 / 2012	गुमला सिमडेगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद मो० तपस्वनी देवी की नौकरी नियमित नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत ।	04.04.2012	परिवादीनी को माननीय उच्च न्यायालय से उचित आदेश पारित हो चुका है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
5.	शिकायत सं० 609 / 11	ग्रामीण कार्य विभाग प्रमण्डल रामगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	17.04.2012	नकली परिवादी द्वारा गलत पता देकर परिवाद दाखिल किये जाने के कारण परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं० 198 / 12	बिजली चोरी का झुठा मुकदमा दर्ज कर रू० 27,700/- का आर्थिक दण्ड वसूलने के संबंध में विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल चतरा के विरुद्ध श्री विनोद कुमार चतरा का शिकायत ।	12.04.2012	उक्त परिवाद विधि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं० 488 / 11	जे० पी० एस० सी० प्रथम परीक्षा में गलत तरिके से बहाली के संबंध में श्री कृष्ण कुमार अधिवक्ता राँची व्यवहार न्यायालय द्वारा दायर परिवाद ।	18.04.2012	परिवादी द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बावजूद भी परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र, कोर्ट फी एवं उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं० 467 / 11	श्री मंत्र नारायण झाकुर उपश्रमायुक्त बोकारो के भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में ।	18.04.2012	पर्याप्त स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में मौजूद त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया इसे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद के प्रति उत्साहित नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं० 596 / 11	सितारामडेरा ASI योगेन्द्र तिवारी द्वार घुस मांगने के संबंध में मो० अलाउद्दिन सिद्दकी का शिकायत ।	30.04.2012	कई पत्राचार एवं पर्याप्त स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

10.	शिकायत सं० 251/12	पति श्री द्वारिका प्रसाद, सेवा निवृत्त पुलिस निरीक्षक निगरानी ब्यूरो राँची के द्वारा दुसरी शादी करने के संबंध में पत्नी पार्वती देवी का शिकायत ।	21.04.2012	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं० 248/12	श्री चन्द्रदेव शर्मा सेवानिवृत्त कार्यपालक दण्डाधिकारी कोडरमा का देय पेंशनए उपादान अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि का भुगतान के संबंध में ।	27.04.2012	परिवाद शंका के रूप में दर्शाया गया है कि भविष्य में ऐस हो सकता है । ऐसी दशा में परिवाद परिपक्व नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है ।
12.	शिकायत सं० 242/12	श्री श्रवण कुमार निगरानी विभाग हजारीबाग द्वारा पद का दुरुपयोग कर हजारीबाग में जमीन एवं मकान हड़पने के संबंध में अधिवक्ता मो० जलील का शिकायत ।	18.04.2012	शिकायत पुर्णतः दो लोगों का निजी मामला है जो सिविल नेचर का है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
13.	शिकायत सं० 209/12	पवन कुमार सिंह गिरीडिह के खतियानी जमीन पर पशुपालन विभाग द्वारा दिवार खड़ा करने के संबंध में शिकायत ।	03.04.2012	परिवादी पहले ही सक्षम न्यायालय में अपने परिवाद के निराकरण हेतु परिवाद दाखिल कर चुका है। ऐसी दशा में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है
14.	शिकायत सं० 483/12	अवैद्य तरिके से पद पर नियुक्ति एवं वेतन वृद्धि के संबंध में ।	18.04.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में पर्याप्त स्मार पत्रों के बाद भी शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क 4.70 रु० जमा नहीं करया गया जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद को चलाने के ईच्छुक नहीं है ।
15.	शिकायत सं० 262/12	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद व्याख्यता के वेतनमान के अनुरूप वेतन का भुगतान नहीं होना ।	20.04.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है ।
16.	शिकायत सं० 496/12	श्री मनोज कुमार मिश्रा व्यवस्थाता रसायन शास्त्र विभाग बी० आई० टी० सिन्दरी की नियुक्ति अवैद्य ढंग से होने के कारण निरस्त करने के संबंध में ।	21.04.2012	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 21 (घ) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं० 213/12	विस्थापन पश्चात सरकारी नौकरी एवं अन्य मुआवजों के संबंध में श्री सुबेश पाल से प्राप्त शिकायत ।	03.04.2012	परिवादी पूर्व में अपने परिवाद के निराकरण के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपीलवाद दायर कर चुका था इस दशा में झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
18.	शिकायत सं० 292/12	राँची विश्वविद्यालय के पूर्व वित्त पदाधिकारी डा. एस.के. प्रसाद पर रु० 1.32 करोड़ गबन करने का आरोप से संबंधित सत्यदेव राय राँची का शिकायत ।	30.04.2012	परिवाद पर पूर्व में दायर थ्ट के आलोक में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में निहित प्रावधान के अनुसार एक ही परिवाद पर समानान्तर जांच नहीं चल सकती है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं० 492/11	विधायक मद से बने पी.सी.सी.पथ निर्माण में भारी अनियमितता एवं पूर्ण राशि के निकासी के संबंध में ।	17.04.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र तथा कोर्ट फी पर्याप्त पत्राचार के बाद भी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं० 234/12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परपंचों का भवन निर्माण गांव से दूरी पर कराये जाने के संबंध में श्री साधु चरण कुन्टिया से प्राप्त	18.04.2012	शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण परिवाद पर झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम

		शिकायत ।		2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
21.	शिकायत सं0 446/2011	वाणिज्यकर सहायक आयुक्त विशेष अंचल राँची श्रीमती शोभा रानी एवं श्री प्रेम अरसेन कुजूर द्वारा नजायज राशि की मांग के संबंध में ।	04.05.2012	परिवाद में निहित त्रुटि के निराकरण के लिए पर्याप्त पत्राचार के बाद भी त्रुटि का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करना साथ अन्य संस्थाओं में अपील करने के कारण परिवाद पोषणीय नहीं है ।
22.	शिकायत सं0 195/12	कमलाकान्त पाण्डेय टाटा सिजुआ नं0 6 वार्ड नं0 7 पोस्ट-भेलाटांड थाना जोगता जिला-धनबाद बनाम अपर समाहर्ता आपूर्ति धनबाद	12.04.12	परिवादी पूर्व में ही अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त कर लिया है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनुसार पोषणीय नहीं है ।
23.	शिकायत सं0 204/12	अंचलाधिकारी कांके द्वारा जमीन पर दखल दिहानी नहीं कराये जाने के संबंध में श्री विजय वाहन का शिकायत ।	12.04.2012	शिकायत के संदर्भ में एस.ए.आर कोर्ट पूर्व में ही अपना आदेश पारित कर चुका है ऐसी दशा में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनुसार पोषणीय नहीं है ।
24.	शिकायत सं0 200/12	राजेश कुमार साहू पिता- स्व0 रामवृक्ष साहु काली स्थान रोड चर्च रोड लोअर बाजार राँची बनाम रविन्द्र प्रसाद सिंह, ब्लाक आपूर्ति अधिकारी, माण्डर, चन्द्रशेखर सिंह आपूर्ति निरीक्षक, राँची अनुभजन तथा मंजू कुमारी तत्कालिन आपूर्ति निरीक्षक प्रखण्ड कांके ।	18.04.2012	पुलिस इस मामले में पहले ही अपराधिक मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
25.	शिकायत सं0 613/11	जानकी देवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय धनवार गिरिडीह में लक्ष्मी राउत शिक्षिका की अवैध नियुक्ति के संबंध में सरयू प्रसाद राय गिरिडीह का शिकायत ।	12.04.2012	परिवाद कालबाधित रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
26.	शिकायत सं0 232/12	बिजली बिल अधिक आने के संबंध में महबूब आलम कतरास धनबाद से प्राप्त शिकायत ।	28.04.2012	परिवाद किसी लोक सेवक के विरुद्ध स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है तथा परिवादी अन्य अनुतोष प्राप्त है । झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत शिकायत पोषणीय नहीं है ।
27.	शिकायत सं0 256/12	01.01.1971 से 31.03.1973 तक का सूद सहित अन्तर्वेतन राशि के भुगतान के संबंध में श्री रसराज काहिली पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	27.04.2012	पूर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर के द्वारा नहीं किया गया । अतः ऐसी दशा में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
28.	शिकायत सं0 301/12	श्री बृज किशोर शर्मा सेवानिवृत्त जनसेवक गांवा गिरिडीह को सेवानिवृत्त के पश्चात आज तक भुगतये राशि एवं पेंशन निर्धारण नहीं होने के संबंध में ।	30.04.2012	शिकायत कालबाधित रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
29.	शिकायत सं0 272/12	सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा के सहायको का उचित वेतन निर्धारण एवं बकाया भुगतान नहीं होने के संबंध में ।	30.04.2012	पूर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन राँची विश्व विद्यालय राँची के द्वारा नहीं किया गया । अतः ऐसी दशा में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।